न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/150/2015

उनवान

1. रतनलाल पिता लालू जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

......– अपीलान्ट / प्रतिवादी

बनाम

1. प्रथु पिता लालू जी जाट उम्र वयस्क निवासी मुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

....रेस्पोंडेन्ट/वादी

2. बद्री लाल पिता धनराज जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मियाचंद पिता धनराज जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. रामेश्वर पिता धनराज जी जाट मृतक के बजाय :–विमला
   4/1विमला पत्नी रामेश्वर जाट उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा
   4/2 नारायण पिता रामेश्वर जाट उम्र नाबालिग बबिलायत प्राकृतिक सरंक्षक माता विला बेवा रामेश्वर जाट निवासी गुढ़ा
5. लेहरू पिता मगना जी जाट उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा (डिलिट किया गया दिनांक 15.12.2025)
6. उदेराम पिता मगना जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. श्रीमती जेती पुत्री मगना जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
8. तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

.... रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादीगण

——रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर लोक अदालत केम्प कोर्ट, अरनिया,के प्रकरण संख्या 118/2013
निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.7.2015

अभिभाषक :

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2. श्री भोपाल लाल गुर्जर ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी

अपील संख्या 149/2015

अनवान

1. रतनलाल पिता लालू जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. अशोक कुमार पिता मोहन लाल सुराणा, निवासी–सहाडा, तहसील–सहाडा, जिल भीलवाडा

.....अपीलाण्ट प्रतिवादी

बनाम

1. प्रथु पिता लालू जी जाट उम्र वयस्क निवासी मुढा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

....रेस्पोडेण्ट वादी

2. लेहरू पिता मगना जी जाट उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. उदेराम पिता मगना जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती जेती पुत्री मगना जी जाट उम्र–वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा
5. तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

... रेस्पोडेण्ट प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर लोक अदालत केम्प कोर्ट, अरनिया, के प्रकरण संख्या 121/2013
निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.7.2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * भीलवाड़ा (राज.) * सत्यमेव जयते

अभिभाषक :

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री भोपाल लाल गुर्जर ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 12.2.2026

(अपील संख्या 150/2015)

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढ़ा खेड़ा पटवार क्षेत्र भरक तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्के आबादी में खाता संख्या 96 छियानवें में अंकित आराजी संख्या 331 तीन सौ इगतीस रकबा 0.75 जीरो पोईन्ट पिचोत्तर हे०, आराजी संख्या 332 तीन सौ बत्तीस रकबा 0.14 जीरो पोईन्ट चवदा हे०, आराजी संख्या 333 तीन सौ तैंतीस रकबा 0.94 जीरो पोईन्ट चौरानवें हे०, आराजी संख्या 397 तीन सौ सत्यानवें रकबा 1.43 एक (पोईन्ट तियालीस हे00, कुल किता 4 चार कुल रकबा 3.26 तीन पोईन्ट छब्बीस हे० कृषि भूमियां मुझ वादी एवं प्रतिवादीगणों के शामलाती खाते में दर्ज होकर मुझ वादी का 1/6 एक बटा छः हिस्सा है। नकल जमाबन्दी संवत् 2069 दो हजार गुलन्तर से संवत् 2072 दो हजार बहत्तर की एवं नक्शा ट्रेस की नकल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है।

2. वाद पत्र की कलम संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादी संख्या 1 एक से लगा 3 तीन का 1/3 एक बटा तीन हिस्सा है तथा मुझ वादी एवं प्रतिवादी रतनलाल का 1/3 एक बटा तीन हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 पाँच से लगा 7 सात का 1/3 एक बटा तीन हिस्सा होकर मैं वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सानुसार काबिज हो काश्त करते आ रहे है।

3. प्रतिवादीगण संख्या 5 पाँच से लगा 7 सात के पिता श्री मगना जी का देहान्त हो गया तथा अन्य कृषि भूमियों में विरासत से मृतक मगना के बजाय इनके नाम दर्ज हो गये। इस खाते में मगना पिता दल्ला जी का नाम अंकित है, जिससें स्व० मगना जी के वारिसान लेहरू, उदेराम व श्रीमती जेती को प्रतिवादीगण बनाये गये।

4. वाद ग्रस्त कृषि आराजियात अविभाजित होने से कृषि भूमियों में लागत लगाने, चाह का निर्माण कराने व लगान जमा कराने में परेशानियां रहती है, जिससें मुझ वादी ने कतिपय बार प्रतिवादीगणों को कृषि आराजियात का विभाजन सहमति से कराने बाबत् कहा लेकिन टालम टूल का जवाब देते रहे। अन्तिम बार दिनांक 27.05.2013 सत्ताईस मई सन् दो हजार तेरह को कहा व उन्होंने विभाजन कराने से इन्कार कर दिया, जिससें मुझ वादी को प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दिनांक 27.05.2013 सत्ताईस मई सन् दो हजार तेरह से ही वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

5. अतः निवेदन है कि (अ) वाद पत्र की कलम संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमियों में मुझ वादी का 1/6 एक बटा छः हिस्सा है, जिनका विभाजन कराया जाकर मुझ वादी का अलग से 1/6 एक बटा छः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हिस्सा दर्ज कराने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जाय।

6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.7.2015 से स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

(अपील संख्या 149/2015)

7. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढ़ा खेड़ा पटवार क्षेत्र भरक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्के आबादी में खाता संख्या 138 एक सौ अड़तीस में अंकित आराजी संख्या 334 तीन सौ चौंतीस रकबा 1.75 एक पोईन्ट पिचहत्तर हे०, आराजी संख्या 401 चार सौ एक रकबा 0.50 जीरो पोईन्ट पचास हे०, आराजी संख्या 402 चार सौ दो रकबा 0.33 जीरो पोईन्ट तैंतीस हे०, आराजी संख्या 403 चार सौ तीन रकबा 0.88 जीरो पोईन्ट इठयासी हे०, आराजी संख्या 405 चार सौ पाँच रकबा 0.30 जीरो पोईन्ट तीस हे०, आराजी संख्या 406 चार सौ छः रकबा 0.26 जीरो पोईन्ट छब्बीस हे०, आराजी संख्या 407 चार सौ सात रकबा 0.36 जीरो पोईन्ट छत्तीस हे०, आराजी संख्या 408 चार सौ आठ रकबा 0.22 जीरो पोईन्ट बाईस हे०, आराजी संख्या 409 चार सौ नौ रकबा 0.14 जीरे पोईन्ट चवदा हे०, आराजी संख्या 410 चार सौ दस रकबा 0.41 जीरो पोईन्ट इगतालीस हे०, आराजी संख्या 411 चार सौ ग्यारह रकबा 0.36 जीरो पोईन्ट छत्तीस हे०, आराजी संख्या 412 चार सौ बारह रकबा 0.35 जीरो पोईन्ट पैंतीस हे०, कुल किता 12 बारह कुल रकबा 5.86 पाँच पोईन्ट छियासी हे० कृषि भूमियां मुझ वादी एवं प्रतिवादीगणों के शामलात में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से संवत् 2072 में दर्ज रेकार्ड है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * भीलवाड़ा (राज.)

8. वाद पत्र की कलम संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमियों में मुझ वादी का 1/6 एक बटा छः हिस्सा होकर मेरे हिस्सानुसार काबिज हो काश्त करता आ रहा हूँ।

9. वाद ग्रस्त कृषि भूमियां अविभाजित होने से भूमियों को उपजाऊ बनाने, चाह का निर्माण कराने व लगान जमा कराने में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कठिनाईयां रहती है, जिससें मुझ वादी ने कतिपय बार प्रतिवादीगणों को आपसी सहमति से भूमियों का विभाजन कराने हेतु कहा तो टालम टूल का जवाब देते रहे। अन्तिम बार दिनांक 27.05.2013 सत्ताईस मई सन् दो हजार तेरह को कहा तो प्रतिवादीगणों ने विभाजन कराने से मना कर दिया, जिससें मुझ वादी को प्रतिवादीगणों के विरूद्ध दिनांक 27.05.2013 सत्ताईस मई सन् दो हजार तेरह से वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

10. अत : निवेदन है कि :-(अ) वाद पत्र की कलम संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बौण्ड्स व कब्जानुसार विभाजन कराया जाकर मुझ वादी का 1ध्6 एक बटा छः हिस्सा अलग से दर्ज कराने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जाय।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.7.2015 से स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

12. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

13. उपरोक्त दोनों ही अपीलों के अधिवक्तागण, पक्षकार, व विषयवस्तु समान होने से दोनों ही अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट वादी ने उक्त वाद विभाजन बाबत् अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट एवं दीगर रेस्पोडेन्टान के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट की और से वादोत्तर मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर आराजी संख्या 397 रकबा 01.43 हैक्टर सम्पूर्ण व आराजी संख्या 33 रकबा 0.94 हेक्टर में से आधा हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित कर विभाजन किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया जिसका कोई किसी प्रकार से खण्डन रेस्पोडेन्ट वादी द्वारा नहीं किया गया जो काउन्टर क्लेम बाबत् रेस्पोडेन्ट वादी की स्वीकारोक्ति एवं सहमती की परिधि में आता है इस प्रकार अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

का काउन्टर क्लेम स्वीकारोक्ति के आधार पर काबिल डिकी के होते हुये एवं रेस्पोडेन्ट वादी का वाद काबिल खारिज के होते हुये भी खारिज न कर डिकी करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण हाजा में दिनांक 13.04.2015 को अधिनस्थ न्यायालय ने वादोत्तर एवं काउन्टर क्लेम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत करने के उपरांत आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.05.15 की नियत की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.05.15 को तारीख पेशी नियत होते हुये भी कोई किसी प्रकार की सुनवाई उस दिन नहीं की है जो एक गंभीर अनियमितता होकर अधिनस्थ न्यायालय की लापरवाही है दिनांक 01.06.2015 को कोई किसी प्रकार की तारीख पेशी पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियत नहीं की गई तथा न उक्त पेशी दिनांक के कोई नोटिस ६ सम्मन ही विधिवत अपीलान्ट पर तामिल कराये गये फिर भी उक्त दिन पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प में रखी गई जो नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत हो पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी काबिल अपास्तगी के है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिन आराजियात के बाबत् रेस्पोडेन्ट वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है उस आराजियात पर वर्षों पूर्व हुये विभाजन अनुसार वर्तमान में आराजी संख्या 397 पर अपीलान्ट प्रतिवादी तन्हा काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा आराजी संख्या 333 के आधे हिस्से पर भी तन्हा अपीलान्ट ही काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है इस बाबत् काउन्टर क्लेम भी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को के काउन्टर क्लेम पर बिना सुनवाई एवं विचार किये आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट हमेशा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होता रहा है इतना ही नहीं दिनांक 14.07.15 को भी अपीलान्ट केम्प कोर्ट में उपस्थित हुआ तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट वादी के बाद अनुसार विभाजन बाबत् सहमत होने का दबाव अपीलान्ट पर डालते हुये आदेशिका पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

हस्ताक्षर करने को कहा गया किन्तु अपीलान्ट इस हेतु सहमत नहीं था व है बल्कि अपीलान्ट ने अपने काउन्टर क्लेम के अनुसार विभाजन करने हेतु ही सहमती जाहिर कर तदनुसार विभाजन करने हेतु कहा तो अधिनस्थ न्यायालय ने अपनेतही अपीलान्ट को अनुपस्थित होना बता उसके विरूद्ध गलत एवं अवैध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आलोच्य निर्णय एवं डिकी बिना अपीलान्ट की स्वतंत्र सहमती एवं स्वीकृती के पारित कर दी जो विधि के मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यशेली आचरण, व्यवहार पूर्णतया पक्षपातपूर्ण हो न्यायिक गरिमा के सर्वथा विपरीत है ऐसी हालत में भी पारित निर्णय एवं डिकी काबिल अपास्तगी के है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में दिनांक 17.06.2014 को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2. 3. 4 की और से वादोत्तर प्रस्तुत किया जाना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दर्शाया गया है जबकि दिनांक 17.06.14 से काफी समय पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 4 रामेश्वर लाल की मृत्यू हो चुकी थी तो फिर रामेश्वर लाल द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है वैसे भी रामेश्वर लाल पिछले 10 वर्षो से ग्राम गुढ़ा में न रहकर शहर हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश में निवास करता चला आ रहा था तथा कभी इन 10 वर्षों के दौरान ग्राम गुढ़ा में नहीं आया मात्र वादी रेस्पोडेन्ट ने फर्जी एवं कूटरचित वादोत्तर षडयंत्र रच आपस में दुर्भिसंधि कर तैयार कर प्रस्तुत करवाया है जो एक जघन्य अपराध की परिधि में आता है इतना ही नहीं दिनांक 17.06.2014 को वादोत्तर प्रस्तुत किया गया तो फिर उसकी नकल दिनांक 15.04.2014 को वादी को किस प्रकार व कैसे दी जा सकती है वादी एवं अधिनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यशैली उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा अपने आप संदेहास्पद एवं शंकाग्रस्त बना देती है ऐसी हालत में भी पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित किये जाने से विधि के सर्वथा विपरीत हो काबिल अपास्तगी के है। इतना ही नहीं यथासमय मृतक रामेश्वर पिता धनराज जाट प्रतिवादी के कायम मुकामात नहीं बनाये जाने से रेस्पोडेन्ट वादी का वाद स्वत अबेट होकर खारिज होने के उपरांत भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद डिकी करने में भारी विधिक भूल की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी भीलवाड़ा

19. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कि राज्य सरकार ने लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों के मध्य आपसी समन्वय सामन्जस्य, विश्वास, मैत्री पूर्ण तरीके से आपसी विवादों को निस्तारण हेतु ही किया गया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के उक्त ध्येय को जानबूझकर नजरअंदाज कर मात्र प्रकरणों का अत्यधिक निस्तारण करने का ध्येय बनाने के साथ–साथ राज्य सरकार से दिखावटी पारितोषिक एवं वाहवाही प्राप्त करने के दुराश्य से एकपक्षीय सुनवाई कर आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने में भारी विधिक भूल करने के साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया का भी मखोल उड़ाया है इस कारण भी पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी विधि के मान्य सिद्धान्तों के एवं लोक अदालत की भावना/मंशा के ठीक विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

20. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान न कर धोखास्पद एवं छल कपट तरीके से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित किया है जिसके कारण अपीलान्ट अपना साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं कर सका इस कारण पत्रावली पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये काबिल रिमाण्ड के है।

21. अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.07. 15 को अपास्त फरमाते हुये माफीक अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अनुसार प्रकरण का निस्तारण फरमा रेस्पोडेन्ट वादी का वाद कानूनन पोषणीय न होने से खारिज फरमाया जावे अथवा पत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिमाण्ड फरमाई जावे। हर्जा खर्चा अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट वादी से दिलाया जाये।

22. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि लोक अदालत में प्रकरण को निस्तारण करने की सहमति दी की विभाजन किया जावे। प्रकरण में अभी प्रारंभिक डिकी जारी हुई है। अंतिम डिकी व आपत्तियों का निस्तारण शेष है। तो खातेदार के पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः अपीलत खारिज की जावे।

(अपील संख्या 149/2015)

23. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट वादी ने उक्त वाद विभाजन बाबत् अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट एवं दीगर रेस्पोडेन्टान के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें अपीलान्ट तारीख पेशी 16.07.2013 को अपीलान्ट की और से महेशचन्द्र दाधीच एडवोकेट ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर वादोत्तर हेतु अवसर चाहा तथा आगामी पेशी वादोत्तर हेतु दिनांक 19.08.13 की नियत की गई तथा दिनांक 19.05.15 को भी पत्रावली वास्ते अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 एवं पैरोकार सरकार के जवाब हेतु नियत की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.05.15 को तारीख पेशी नियत होते हुये भी कोई किसी प्रकार की सुनवाई उस दिन नहीं की है जो एक गंभीर अनियमितता होकर अधिनस्थ न्यायालय की लापरवाही है दिनांक 01.06.2015 को कोई किसी प्रकार की तारीख पेशी पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियत नहीं की गई न कोई नोटिस सम्मन ही उक्त तारीख पेशी के विधिवत तामिल कराये गये फिर भी उक्त दिन पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प में रखी गई जो नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत हो पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी काबिल अपास्तगी के है।

24. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट वादी का वाद विभाजन बाबत् किसी कदर अधिनस्थ न्यायालय में पोषणीय नहीं था व है क्योंकि विवादित आराजियात का काफी वर्षों पूर्व अर्थात अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता लालू जी एवं उनके भाईयों कालू, मगना, आदि के मध्य विभाजन होकर कियान्वित कर लिया गया तो फिर पुनः यह विभाजन का वाद किसी कदर पोषणीय न होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादी के वाद को खारिज न कर स्वीकार करने में भारी विधिक भूल की है।

25. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यहां यह अंकित करना भी सुसंगत होगा कि वर्षों पूर्व हुये विभाजन के फलस्वरूप जो आराजियात दल्ला के तीनों पुत्रों अर्थात कालू, लालू, मगना के हिस्से में आयी उस पर वे काबिज हो गये इतना ही नहीं विभाजन से प्राप्त आराजियात में से कुछ आराजियात कालू पिता दल्ला ने विधिवत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से दिनांक 02.09. 1975 को हस्तान्तरित कर दी जो वर्षों पूर्व विभाजन होने का द्योतक है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः विभाजन की डिकी पारित करने में भारी भूल की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

26. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिन आराजियात के बाबत् रेस्पोडेन्ट वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है उस आराजियात पर वर्षों पूर्व हुये विभाजन अनुसार वर्तमान में आराजी संख्या 401, 402, 406, 408, 409, 410, 412 पर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 तन्हा काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा आराजी संख्या 403 के आधे हिस्से पर भी तन्हा अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 ही काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है जो पूर्व में विभाजन हो कियान्वित होने को प्रमाणित करता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

27. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट हमेशा अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होता रहा है इतना ही नहीं दिनांक 14.07.15 को भी अपीलान्ट केम्प कोर्ट में उपस्थित हुआ तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन बाबत् सहमत होने का दबाव अपीलान्ट पर डालते हुये आदेशिका पर हस्ताक्षर करने को कहा गया किन्तु अपीलान्ट ने पूर्व में विभाजन होने का कथन कर पुनः विभाजन बाबत् असहमती जाहिर की तो अधिनस्थ न्यायालय ने अपनेतही अपीलान्ट को अनुपस्थित होना बता उसके विरूद्ध गलत एवं अवैध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आलोच्य निर्णय एवं डिकी बिना अपीलान्ट की स्वतंत्र सहमती एवं स्वीकृती के पारित कर दी जो विधि के मान्य सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

28. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राज्य सरकार ने लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों के मध्य आपसी समन्वय सामन्जस्य, विश्वास, मैत्री पूर्ण तरीके से आपसी विवादों को निस्तारण हेतु ही किया गया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के उक्त ध्येय को जानबूझकर नजरअंदाज कर मात्र प्रकरणों का अत्यधिक निस्तारण करने का ध्येय बनाने के साथ–साथ राज्य सरकार से दिखावटी पारितोषिक एवं वाहवाही प्राप्त करने के दुराशय से एकपक्षीय सुनवाई कर आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित करने में भारी विधिक भूल करने के साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया का भी मखोल उड़ाया है इस कारण भी पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी विधि के मान्य सिद्धान्तों के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

एवं लोक अदालत की भावना/मंशा के ठीक विपरीत होकर काबिल अपास्तगी के है।

29. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वादोत्तर, साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान न कर धोखास्पद एवं छल कपट तरीके से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर आलोच्य निर्णय एवं डिकी पारित किया है जिसके कारण अपीलान्ट अपना वादोत्तर साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं कर सका इस कारण पत्रावली पुनः अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये काबिल रिमाण्ड के है।

30. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट वादी का वाद अव्वल तो पूर्व में विभाजन होकर कियान्वित कर लिये जाने से कतई कानूनन पोषणीय नहीं था दोयम रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वाद को किसी कदर साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित अधिनस्थ न्यायालय में नहीं करवाया है तथा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से सांठ—गांठ एवं दुर्भिसंधि कर वादी रेस्पोडेन्ट ने अपना वाद गलत एवं अवैध तरीके से डिकी करवाया है जो काबिल अपास्तगी के है।

31. अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.07.15 को अपारत फरमाते हुये रेस्पोडेन्ट वादी का वाद कानूनन पोषणीय न होने से खारिज फरमाया जावे अथवा पत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिमाण्ड की जावे।

32. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि मैंनें मेरे हिस्से के बटे का बंटवाडा का दावा किया। मैनें कोई विवादित आराजी से स्पेशिक हिस्सा नहीं मांगा है। प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिया गया है। कोर्ट केम्प कीसूचना दी गई है। जिस पर उपस्थित हुआ है व हस्ताक्षर करनेसे मना कर दिया । जबकि दिगर पक्षकारों ने हस्ताक्षर व सहमति प्रदान की है। प्रकरण में अभी प्रारंभिक डिकी जारी हुई है। पक्षकार को अंतिम डिकी के समय आपत्ति का पर्याप्त अवसर है। अभी अंतिम आदेश नहीं किया गया है। प्रकरण में जो बेचानकिया वह हिस्से का किया गया व जिस हिस्से काबेचान किया वहाँ काबिज करवा दिया गया है। बाद में अन्य बेचान भी हुए है। प्रकरण में अभी प्रारंभिक डिकी जारी की गई है। मौके पर बंटवाडा प्रस्ताव बनना है। इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

आदेश से कोई हानि नहीं हुई है। अपील करने का कोई औचित्य नहीं है। लम्बे समय से प्रकरण विचाराधीन है। अपील को खारिज कर पत्रावली को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजने का निवेदन किया ।

33. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने रिबटल में निवेदन किया कि वादी क्लीन हेण्ड से नहीं आये । जब पूर्व में खाता विभाजन था तो मौके परकाबिज अनुसार ही दावा लाना चाहिये था।

34. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय कीपत्रावली प्रतिवादी संख्या 3व 4 के काउण्टर क्लेम में व प्रतिवादी संख्या 1व 6 के जवाब में चल रही थी। वो जवाब पेश करने का अवसर चाह रहे थे। न्यायालय द्वारा अवसर दे दिया गया व आगामी तारीख्त्रा 19.5.2015 निर्धारित थी। न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में इस दिन क्या कार्यवाही हुई । इसका अंकन नहीं किया व पत्रावली सीधे ही लोक अदालत में रख दी गई। लोक अदालत में बिना सहमती केप्रकरण में प्रांरभिक डिकी जारी कर दी गई। लेकिन डिकी का गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण नहीं किया गया । इस प्रकार पत्रावली जवाब में थी । काउण्टर क्लेम भी बाकी था। निर्धारण से पूर्व उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण करना था। लेकिन न्यायालय द्वारा इस प्रकार की विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई। यह प्रकिया पक्षकार के हितों के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिकी का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कीक जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.7.2015 को निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को जवाब काअवसर प्रदान किया जावे व काउण्टर क्लेम का निर्धारण किया जावे। तनकियात कायम करसाक्ष्य का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन के साथ निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 6/5/26 को उपस्थित रहे।

35. आदेश आज दिनांक 16.2.2025 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन